राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....2581/2016.....जिला.....भीलवाड़ा.....

उनवान – मैसर्स नितिन स्पिनर्स लि., भीलवाडा बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, भीलवाड़ा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.सी.सोगानी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.10.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 95,84,746/– की वसूली पर आईटीसी राशि रूपये 16,33,498/– को एक वर्ष अथवा अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया तथा शेष राशि 79,51,266/– को अस्वीकर किये जाने को चुनौती दी गयी है । उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी ने आईटीसी राशि 16,33,498/– को विभागयी वेबसाइट राजविस्टा से असत्यापित पाये जाने के आधार पर उसको स्थगित किया है एवं अवशेष राशि रूपये 79,51,266/– को बिना किसी आधार के स्थगित नहीं किया है तथा अपने आदेश में यह अंकित किया है कि विक्रेता व्यवहारियों का पंजीयन निरस्त किया जा चुका है, जिसका कोई आधार अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 79,51,266/– की वसूली को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी । उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात पाया कि अपीलीय अधिकारी ने विभागीय वेबसाइट राजविस्टा के आधार पर व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने स्वयं अपने आदेश के पृष्ठ संख्या 2 के Remarks में अंकित किया है कि – 11/01/17 लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....2581/2016.....जिला.....भीलवाड़ा.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2017	- 2 - (A) ITC disallowed due to non verification of deposit of tax by following selling dealers per sec 18(2) RVAT, 2003-1. Rishab Enterprises (08224551332) tax amount 82,7572. Kirshna Biotech (08310107858) tax amount 78,9683. Krishna overseas (08723003325) tax amount 2,59,6564. Nandini Export (08212960586)tax amount 96,91,6365. GuruKripa Export (08452168352) tax amount 1,49,11,662 Total 2,50,24,680(B) ITC Mismatch as per Dealer mismatch report-16,33,498.17 Grand Total 2,66,58,178. व्यवहारी अपीलार्थी ने TIN युक्त वेट बिलों से माल क्रय किया जाना अवगत कराया है एवं समस्त संव्यहार बैंकिंग प्रणाली के आधार पर किये जाने के साथ ही माल परिवहन के सम्बन्ध भी प्रमाण स्वरूप कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अवगत कराया है। अतः संव्यवहार की सत्यता प्रमाणित करने का प्रयास किया है। इतनी बड़ी राशि के वेट इन्वायस जारी करने वाले विक्रेताओं के पंजीयन कथित रूप से निरस्त किया जाना अपीलीय अधिकारी ने अंकित किया है लेकिन कोई आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशिरूपये 79,51,266/– की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के दो माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 11/01/17 (राजीव चौधरी) सदस्य 11.1.2017 (मदन लाल) सदस्य	